FTS- 38/2012

न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 18/2012
प्रविष्टि दिनांक 22.11.2012

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

सत्यनारायण पुत्र औंकार कौम खाती सा. रामपुराबास बांगडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. राजकीय पेरोकार श्री मजहर आलम
2. श्री अशोक कासलीवाल

अभिशंषा **दिनांक 28.07.2022**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 20 रकबा 13.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी वाके ग्राम रामपुराबास बांगडी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाडी के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1965 को 10.00 बीघा भूमि श्री औंकार पुत्र श्योबश जाति खाती निवासी रामपुराबास बांगडी को जरिये नामान्तकरण सं. 27 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। उक्त भूमि के खोतदारी अधिकार जरिये नामान्तकरण सं. 60 दिनांक 13.09.1977 से दिये गये हैं। श्री औंकार पुत्र श्योबश जाति खाती निवासी रामपुराबास बांगडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 10.00 बीघा को श्री सत्यनारायण पुत्र औंकार जाति खाती निवासी रामपुराबास बांगडी के नाम जरिये रजिस्टर्ड विरासत से स्थानान्तरण कर दी गई हैं। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 27 व 60 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रकरण में राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि खसरा नम्बर 20 रकबा 13.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी वाके ग्राम रामपुराबास बांगडी राज्य सरकार के नाम भू प्रवन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन तालाब/नदी नाले आदि दर्ज थी। उक्त भूमि अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1965 को श्री औंकार पुत्र श्योबश जाति खाती निवासी रामपुराबास बांगडी को जरिये नामान्तकरण सं. 27 से गैर खातेदारी हक कर आवंटित की गई। उक्त भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 60 दिनांक 13.09.1977 से हुई। श्री औंकार पुत्र श्योबश जाति खाती निवासी रामपुराबास बांगडी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 10.00 बीघा को श्री सत्यनारायण पुत्र औंकार जाति खाती निवासी रामपुराबास बांगडी के नाम जरिये रजिस्टर्ड विरासत से स्थानान्तरण कर दी गई हैं। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 25.06.1965 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 27 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 60 दिनांक 13.09.1977 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे और ना ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज पेश किए।

हमने राजकीय अभिभाषक बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2059–62, 2067–70, नकल नामान्तकरण सं. 27,60, 142, 274, 275 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल जमाबंदी सम्वत 2059–2062 में साबिक खसरा नम्बर 20 नाडी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 25.06.1965 को 10.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी की भूमि सत्यनारायण पुत्र औंकार खाती निवासी रामपुराबास बागडी तहसील मालपुरा के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में औंकार पुत्र श्योबश जाति खाती को दिनांक 25.05.1965 को नामान्तरकरण सं0 27 के द्वारा गैर खातेदारी एंव दिनांक 13.09.1977 को नामान्तरकरण सं0 60 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2059–2062 में गैर मुमकिन नाडा–।। सिवायवक राजकीय दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी ओंकार पुत्र श्योबश ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 25.06.1965 को विवादित भूमि ओंकार पुत्र श्योबश के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दौसा

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि ओंकार पुत्र श्योबश जाति खाती निवासी रामपुराबास बागडी तहसील मालपुरा को दिनांक 25.06.1965 को खसरा नम्बर 20 रकबा 10.00 बीघा भूमि वाके ग्राम रामपुराबास बागडी मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री ओंकार पुत्र श्योबश के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 27 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 60 दिनांक 13.09.1977 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 10.00 बीघा भूमि वाके ग्राम रामपुराबास बागडी तहसील मालपुरा को पुनः गैर मुमकिन नाडा सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशराम धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक